2017/000094

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2017	6.3.2017	24/12/19

1. श्रीमती मायादेवी पत्नी रामबाबू
2. श्रीमती सीतादेवी पत्नी रेवडमल

जरिए मुख्त्यार आम मायादेवी पत्नी रामबाबू शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जोलन्दा तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामफूल, गुर्जर निवासी जोलन्दा तहसील मलारनाडूंगर
2. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाईमाधोपुर
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर
4. बैंक आफ बडौदा शाखा खिरनी तहसील मलारनाडूंगर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री शंभुलाल मीना , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री गुलशेर खान, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 739 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा ग्राम जोलन्दा दिनांक 6.7.2007 को प्रार्थीगण ने जरिए विक्रय पत्र क्रय की है एवं तभी से वे भूमि पर काबिज काश्त हैं तथा जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की जांच किए बिना ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को 5 खसरा नम्बरो में विभाजित कर दिया है। साबिक ख0नं0 739 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा के नवीन ख0नं0 1467 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 1468 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 1469 रकबा 0.98 है0, ख0नं0 1803 रकबा 0.16 है0 गै0मु0रास्ता, ख0नं0 1804 रकबा 0.35 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.07 है0 बने हैं। मौके की जांच किए बिना ही भू–प्रबन्ध विभाग ने ख0नं0 1803 रकबा 0.16 है0 को गै0मु0रास्ता दर्ज कर दिया है जिसकी दुरूस्ती कराने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है। ख0नं0 1804 रकबा 0.35 है0 में से कुछ हिस्से पर अप्रार्थी सं0 1 जबर्दस्ती कब्जा करने पर आमादा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को अपनी स्वयं की जमीन बताकर कहता है इस जमीन में होकर रोड निकाल दो। प्रार्थीगण ने दिनांक 2.3.2017 को अप्रार्थी सं0 1 से इस बारे में कहा तो अप्रार्थी नं0 1 ने कहा हम तो इसी तरह तुम्हारी जमीन में होकर रोड बनाकर रहेंगे। भूमि अवाप्त किए बिना एवं उचित मुआवजा दिए बिना

Scanned by CamScanner

सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रार्थीगण की भूमि में होकर रोड निकालने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 2.3.2017 को प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नकल प्राप्त कर पुनः अप्रार्थी नं0 1 व 2 के कर्मचारियों से कहा कि हमारी खातेदारी भूमि पर गलत से मिट्टी क्यों डाल रहे हो तो अप्रार्थी नं0 1 व 2 के व्यक्तियों ने एक भी बात नहीं सुनी और कहने लगे कि इस खेत की तरफ आई तो तेरे हाथ पैर तोड देंगे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थिया की भूमि ख0नं0 1803 व 1804 में होकर सडक नहीं बनावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 3, 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं0 3, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं0 1 को हैरान व परेशान करने के लिए यह झूंठा वादपत्र प्रस्तुत किया है। हाल ख0नं0 1804 रकबा 0.35 है0 ग्राम जोलन्दा पर अप्रार्थी नं0 1 का सदैव से अर्थात 80–90 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी नं0 1 के कब्जे काश्त में कभी ना तो पूर्व खातेदार प्रभू कुम्हार व रतन कुम्हार ने बाधा उत्पन्न की और ना ही वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा कोई दखल दिया गया है। अर्थात अप्रार्थी नं0 1 शांतिपूर्वक तरीके से ख0नं0 1804 पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है जिस पर अप्रार्थी नं0 1 ने सरसों की फसल काश्त की है। प्रार्थीगण ने दावा मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थी नं0 1 को कोई नोटिस नहीं दिया है। ख0नं0 1803 गै0मु0रास्ता है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 का कोई वास्ता नहीं है। अप्रार्थी नं0 2 व 3 इस गै0मु0रास्ते में होकर सडक का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें अप्रार्थी नं0 1 को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 1804 पर अर्थात रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के दिन से व आज दिन तक कोई कब्जा काश्त नहीं किया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 739 मिन रकबा 8 बीघा 4 विस्वा ग्राम जोलन्दा के हाल नम्बर 1803 रकबा 0.16 है0 गै0मु0रास्ता, ख0नं0 1804 रकबा 0.35 है0 बने हैं। साबिक ख0नं0 739 में होकर आम जनता के आने जाने का वर्षो पूर्व से रास्ता बना हुआ था

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलक्टर
मलारना

Scanned by CamScanner

जिससे होकर लोग महेसरा से मोतीपुरा गांव के लिए आते जाते रहे हैं। उक्त ख0नं0 739 के हाल नम्बर 1803 में राजस्व रिकार्ड में 0.16 है0 भूमि गै0मु0रास्ता है जिसमें होकर भी आम जनता का अब आना जाना रहता है। विगत कई वर्षो से उक्त गै0मु0रास्ते को पुख्ता बनवाने की मांग जनता की सरकार से होती रही है। जनता की मांग के अनुसार राज्य सरकार ने उक्त रास्ते को पक्का बनवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त निर्माण कार्य का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित कर उक्त कार्य का जिम्मा ठेकेदार को दिया है। प्रार्थीगण को उपरोक्त समस्त प्रक्रिया की जानकारी पहले से ही थी तथा प्रार्थीगण का उपरोक्त गै0मु0रास्ता रकबा 0.16 है0 पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ये रकबा जनता के आने के उपयोग में आता रहा है। इस गै0मु0रास्ते पर पहले से ग्राम पंचायत ने मिट्टी वगैरा डलवा रखी है। जैसे ही ठेकेदार ने उक्त रास्ते का निर्माण कार्य चालू करवाया, प्रार्थी ने यह वादपत्र प्रस्तुत कर दिया जिसमें कोई सत्यता नहीं है। उक्त वादपत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 6.3.2017 को प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी अप्रार्थी नं0 2 को नहीं थी। जैसे ही अप्रार्थी सं0 2 को उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी हुई, तुरन्त प्रभाव से काम बन्द करवा दिया। तब से काम बन्द पडा है। सडक निर्माण कार्य बन्द होने से आम जनता में भारी आक्रोश है। अप्रार्थी सं0 2 लोकसेवक है जिसे वादपत्र पेश करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। ख0नं0 1803 रकबा 0.16 है0 गै0मु0रास्ते पर प्रार्थीगण का या प्रार्थीगण से पूर्व के किसी भी खातेदार का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उपरोक्त खसरा नम्बर आम जनता के आने जाने के उपयोग में होता रहा है। प्रार्थीगण का प्राइमा फेसी केस , सुविधा संतुलन एवं क्षतिपूर्ती के बिन्दु सिद्ध नहीं होते हैं । अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053, फोटोकोपी नकल हाल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में अप्रार्थी नं0 1 ने फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण सं0 175 दिनांक 15.8.2007, फोटोकोपी

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी नकल साबिक नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी मौका मुआयना दि0 21.3.17 ग्राम पंचायत जौलन्दा प्रस्तुत की है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि साबिक ख0नं0 739 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा ग्राम जोलन्दा प्रभु पुत्र औंकार कुम्हार व बजरंगा पुत्र नानगा कुम्हार की खातेदारी की भूमि रही है जिसे प्रार्थीगण ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद की है एवं इसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई जिसका नोट नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 में अंकित है। इस नम्बर में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है परन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने इस नम्बर के 5 नवीन नम्बर कायम किए हैं जिन्हें प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया गया है परन्तु ख0नं0 1803 रकबा 0.16 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज कर दी गई है जो गलत है। भू–प्रबन्ध विभाग की इस गलती का फायदा उठाकर अप्रार्थी नं0 1 व 2 इस नम्बर में होकर जबरन सडक निर्माण करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि ख0नं0 1603, 1604 पर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। इससे पूर्व इस भूमि के जो खातेदार रहे हैं उनका भी इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। ख0नं0 1603 गांव के लोगों के आने जाने के काम आत रहा है जिसमें होकर राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार अप्रार्थी नं0 2 सडक निर्माण करवाना चाहता है । आम रास्ते को रोकने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 के अनुसार भूमि साबिक ख0नं0 739 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा खातेदारी की भूमि रही है। फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके नवीन ख0नं0 1467 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 1468 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 1469 रकबा 0.98 है0, ख0नं0 1803 रकबा 0.16 है0 गै0मु0रास्ता, ख0नं0 1804 रकबा 0.35 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.07 है0 बने हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। खातेदारी भूमि में होकर सडक का निर्माण भूमि अवाप्त करने के पश्चात् ही

(मनोज कुमार
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर)

Scanned by CamScanner

किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1803 में सडक निर्माण करने हेतु भूमि अवाप्ति का कोई आदेश अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के ही हक में है। फलस्वरूप प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6.3.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट (**confirm**) की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख0नं0 1803 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 1804 रकबा 0.35 है0 ग्राम जोलन्दा में सडक आदि का निर्माण न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.17 14:14:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: